फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

ार्थी :– श्री नंगाराम | विपक्षी :– हीरालाल

्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 37/19

मांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 24.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1, 2 स्वयं उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी की जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि होकर विपक्षी सं. 1, 2 पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थीगण की भूमि की सीमा को लेकर विवाद बना रहता हैं। विवाद की समाप्ति हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां की आराजी नम्बर 3568/2086 रकबा 5 बीघा, आराजी नम्बर 3554/2086 रकबा 5 बीघा भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.07 10:30:54 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली